

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)

पीठासीन अधिकारी: श्री ओमप्रकाश वर्मा (आरएएस)
राजस्व प्रार्थना-पत्र संख्या : 433/2025
निर्णय दिनांक : 06.02.2026
जीसीएमएस संख्या- 2025/655

हिंगलाजदान बनाम राजस्थान सरकार

—:निर्णय:—

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्रामीण सेवा शिविर 2025 के दौरान यह प्रार्थना-पत्र भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थी हिंगलाजदान पुत्र मालदान जाति चारण निवासी धां चारणान तहसील सुजानगढ़ द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र की पत्रावली प्रस्तुत हुई।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व रिकॉर्ड में रोही ग्राम धां चारणान की जमाबन्दी संवत् 2073-2076 के खाता संख्या 13 में प्रार्थी का नाम हिंगलाजदान पुत्र मालदान दर्ज है। जो गलत है। प्रार्थी का सही नाम आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों के अनुसार हिंगलाजदान पुत्र मालदान अंकित है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त किये जाने का आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र के साथ शिविर प्रभारी/ तहसीलदार सुजानगढ़ की रिपोर्ट का अंकन है। तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उपर्युक्त वर्णित राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम हिंगलाजदान दर्ज है। जो गलत है। संलग्न दस्तावेजात, पटवारी, भू.अ.नि. की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का नाम हिंगलाजदान है इसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में शुद्ध किया जाना उचित है।

प्रार्थना-पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र, दस्तावेजात, आधार कार्ड की प्रति एवं तहसीलदार सुजानगढ़ की अभिशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में जिला चूरु तहसील सुजानगढ़ की संवत् 2073-2076 के राजस्व रिकॉर्ड की प्रविष्टि में निम्नानुसार रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं—


क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	धां चारणान	13	हिंगलाजदान	हिंगलाजदान


अन्य सभी प्रविष्टि तथा रहन (यदि हो तो) की प्रविष्टि यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2026 को लिखाया जाकर सरेआम-इजलास में सुनाया गया।

केस नं0 : ग्रामीणसेवाशिविर/2025/433

1. तहसीलदार सुजानगढ़ को नियमानुसार पालनार्थ प्रेषित है।


(ओमप्रकाश वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरु)
दिनांक 06.02.2026


उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरु)